न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible].1.25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० हैं। तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त हुई बहस प्रा०पत्र T.I. सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दि० 10.1.25 को पेश हो।	
10.1.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 16.1.25 को पेश हो।	
16.1.25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० हैं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए ग्राम देई की खाता संख्या नया 1049 के खसरा संख्या 623 रकबा 0.9061 हैक्टेयर, खसरा संख्या 623/1 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 624 रकबा 0.3560 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.2783 हैक्टेयर भूमि पर तार्फेसला वाद रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु निवेदन किया। तथा निवेदन किया कि खसरा सं. 624 मे प्रार्थीगण ने मकान बना रखा है जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 जबरन पत्थर डालकर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। अतः प्रत्यार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि वह उक्त भूमियों पर नीवें खोदकर निर्माण कार्य कर प्रार्थीगण को बेदखल नही	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
	करे, ना ही किसी अन्य से ऐसा करवायेगे। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के जवाब मे प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 ने जवाब मे निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 624 के पास ही खसरा संख्या 770 रकबा 2 बीघा एवं खसरा संख्या 625 रकबा 1 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा राजकीय भूमि सिवायचक स्थित है, जिस पर प्रत्यार्थी संख्या 1 मोहन ही वर्षो से खेती काश्त करता है एवं समय-समय पर लगान आदि जमा करवाता है। यह कि प्रत्यार्थीगण की कृषि भूमि के उत्तरी व पश्चिमी ओर करीब 5 फीट ऊंची पक्की दिवार का निर्माण हो रहा है व पत्थर पड़े हुए है। प्रत्यार्थी मोहन ने उक्त कृषि भूमि पर कच्ची टापरी बना रखी है। प्रार्थीगण रास्ते की आड़ मे प्रत्यार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है।
	प्रकरण के सम्बन्ध मे तहसीलदार नैनवां से मौका रिपोर्ट तलब की गई जिसके अनुसार मौके पर सिवायचक ख.न. 594 मे प्रार्थी मोडूलाल पिo गोपाल का मकान एवं बाड़ा बना हुआ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। मौके पर खसरा संख्या 594 की पश्चिमी मेड की तरफ स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 624 के कुछ हिस्से पर अप्रार्थीगण द्वारा जबरन कब्जा करने की कोशिश करना बताया गया। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, जवाब प्रा०पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां आदि का अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड, नक्शा लट्ठा तथा वर्तमान डिजिटलाईज नक्शे का अवलोकन किया गया। दौराने जांच ख.नं. 594 व 624 के बीच मेड में डिजीटाईज नक्शा शीट एवं रिकार्ड नक्शा लट्ठा मे अन्तर पाया गया। खसरा संख्या 623, 623/1, 624 पर प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। प्रथम दृष्टया रिकार्डेड खातेदारान की भूमि पर अप्रार्थीगण के अनुचित हस्तक्षेप को रोकने के सम्बन्ध मे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ग्राम देई की खाता संख्या 1057 नया 1008 पुराना के खसरा संख्या 623 रकबा 0.9061 हेक्टेयर, खसरा सं. 623/1 रकबा 0.0162 हेक्टेयर, खसरा सं. 624 रकबा 0.3560 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.2783 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध मे मौके की यथास्थिति बनाए रखने की ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है। नक्शा लट्ठा एवं	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
	डिजीटाइज नक्शा शीट मे पाये गये अन्तर के सम्बन्ध में रिपोर्ट हेतु पैरोकार सरकार को निर्देशित करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस प्रार्थना पत्र में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा खसरा संख्या 595 व खसरा संख्या 625 के बीच की मेड़ की तरमीम शुद्ध किये जाने के सम्बन्ध मे प्रभावी नही रहेगी। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे।
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ (बून्दी)